

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत

प्रकरण क्रमांक 25/2017 एस.टी.

संस्थापित दिनांक 24-01-2017

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

मोनू उर्फ कुलबंतसिंह पुत्र गुरुनाम सिंह मेहरा(पंजाबी)
उम्र 21 वर्ष, निवासी- जैन मंदिर के सामने रहमान
खॉन का मकान गोहद चौराहा, थाना गोहद चौराहा,
जिला भिण्ड म.प्र.

-----अभियुक्त

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह
गुर्जर।

अभियुक्त द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता।

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद सुश्री प्रतिष्ठा
अवस्थी, के न्यायालय के मूल आपराधिक प्रकरण क्र0
928/16 ई.फौ. से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्रमांक
25/2017

//आ दे श//

//आज दिनांक 16-08-2017 को पारित//

नोट-

प्रकरण में आरोपी पर अभियोक्त्री के साथ व्यपहरण/अपहरण करने के संबंध में आरोप है, ऐसी स्थिति में आदेश में अभियोक्त्री का नाम नहीं लिखा जाकर, अभियोक्त्री के नाम के प्रथम अंग्रेजी अक्षर अर्थात् अभियोक्त्री "एस" लिखा जा रहा है।

01. प्रकरण में यह आदेश दं.प्र.सं. की धारा 232 के अंतर्गत पारित किया जा रहा है।
02. प्रकरण में आरोपी पर अवयस्क अभियोक्त्री 'एस' को उसके विधिपूर्ण संरक्षक उसके पिता की सम्मति के बिना ले जाने एवं उसका व्यपहरण/अपहरण इस आशय से करने कि उसे अयुक्त संभोग करने के लिए वाध्य या विवश किया जाएगा उसका व्यपहरण करने के संबंध में भा.द.वि की धारा 363, 366क के अंतर्गत आरोप है।
03. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 15.12.2016 को अभियोक्त्री 'एस' जिसकी उम्र 14 वर्ष की थी और वह कक्षा पांचवी तक पढ़ी लिखी थी को आरोपी मोनू सरदार उर्फ कुलबंत सिंह निवासी गोहद चौराहा बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में लेखीय रिपोर्ट (आवेदनपत्र) फरियादी हुसैन खॉं जो कि अभियोक्त्री का पिता के है के द्वारा दिनांक 16.12.2016 को पुलिस थाना गोहद में प्रस्तुत किया था जिस पर से पुलिस थाना गोहद में आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366क भा.द. वि. के अंतर्गत अप0क0 368/2016 पंजीबद्ध किया गया एवं गुमइंसान रिपोर्ट 19/16 पर पंजीबद्ध किया गया। दौराने विवेचना अभियोक्त्री को दस्तयाव किया गया एवं अभियोक्त्री के धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध कराए गए एवं अन्य साक्षीगण के धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किए गए एवं सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र जे.एम.एफ.सी. न्यायालय गोहद में प्रस्तुत किया गया जो कि उपार्पण उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।
04. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया भा.द.वि की धारा 363, 366क के आवश्यक तत्व पाते हुए आरोप पत्र विरचित किया गया। आरोपी ने अपराध किया जाना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा।
05. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री 'एस' अ0सा0 1, श्रीमती मदीना अ0सा0 2, इमाम खॉं अ0सा0 3, हुसैन खॉं अ0सा0 4, एन.एल. शाक्य अ0सा0 5 के कथन कराए गए हैं। अभियोजन की साक्ष्य उपरांत साक्षियों के कथनों में ऐसे तथ्य नहीं आए हैं जिससे कि अभियुक्त परीक्षण किया जाना आवश्यक होता हो।

06. अभियोक्त्री "एस" अ0सा0 1 जिसका व्यपहरण उसकी विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षिता से अयुक्त संभोग करने हेतु विवश करने के संबंध में आरोपी पर आरोप है उसका अपने कथनों में कहना रहा है कि वह आरोपी को जानती है। उसके यहाँ ऐंचाया रोड पर लगे पानी के प्लांट पर आरोपी मोनू की गाड़ी लगी होना और गाड़ी आरोपी के द्वारा चलाना उसके द्वारा बताया गया है। अभियोक्त्री ने बताया है कि दिनांक 15.12.16 को वह घर पर अकेली थी और उसके मम्मी पापा खेत में पानी देने गए थे तब उसे एक लडके ने फोन करके कहा था कि वह गोहद चौराहा पर मिलेगा वहाँ आ जाना, उसके बाद अभियोक्त्री गोहद चौराहा पर गई वहाँ उसे मोनू मिला था। अभियोक्त्री का यह भी कहना रहा है कि उसने सोचा कि जिस लडके ने फोन किया है वही लडका मिलेगा, लेकिन वह नहीं मिला था। वह तीन चार घण्टे गोहद चौराहे पर रही फिर मोनू आ गया और उसने कहा घर चलो और फिर मोनू ने उसकी मम्मी को फोन कर बताया कि सपना गोहद चौराहा पर है। उक्त साक्षिया का यह भी कहना रहा है कि फिर वहाँ पुलिस आ गई थी और पुलिस मोनू व उसे पकडकर ले आई थी उसके घर पर ले गयी थी और फिर थाने ले गई थी। अभियोजन के द्वारा अभियोक्त्री को अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के आधार पर पक्ष विरोधी घोषित किया गया है और सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक उसके समक्ष रखा गया है, किन्तु उसके उपरांत भी साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इन तथ्यों से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी मोनू ने उससे शादी करने के लिए कहा था एवं उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि जिस लडके ने फोन किया था उसका नाम नावेद था और उसी के फोन पर वह घर से बाहर आई थी।

07. अभियोजन साक्षी हुसैन खॉ अ0सा0 4 एवं श्रीमती मदीना अ0सा0 2 व इमाम खॉन अ0सा0 3 जो कि अभियोक्त्री के पिता, माँ व चाचा है। उक्त साक्षीगण के द्वारा भी अपने कथनों में अभियोजन कहानी का लेशमात्र समर्थन नहीं किया है, जिस कारण उपरोक्त साक्षीगण को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्नों के माध्यम से अभियोजन कथानक उनके समक्ष रखा गया है, उसके पश्चात् भी उक्त साक्षीगण के द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है।

08. अभियोजन साक्षी एन.एल. शाक्य अ0सा0 5 जिनके द्वारा कि प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही की गई है के द्वारा दिनांक 16.12.2016 को थाना गोहद पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ होना एवं उक्त दिनांक अप0क0 368/16 अंतर्गत धारा 363, 366क भा.द.वि की केशडायरी विवेचना हेतु प्राप्त होना और विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाना, पीड़िता को दस्ताव करना व सुपुर्दगी में दिया जाने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने संबंधी तथ्यों की पुष्टि अपने न्यायालयीन कथनों में की है साथ ही उक्त साक्षी के द्वारा दिनांक 16.12.2016 को थाना प्रभारी अशाराम गौतम के द्वारा लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 9 को भी प्रमाणित किया है, किन्तु विवेचनाधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन प्रकरण के किसी भी साक्षीगण द्वारा नहीं किया गया है।

09. प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित कराए गए साक्षियों की साक्ष्य में इस आशय की साक्ष्य विद्यमान नहीं है जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि अभियोक्त्री "एस" को आरोपी के द्वारा उसके वैध संरक्षक पिता की संरक्षिता से बहला/फुसलाकर ले जाया गया हो एवं उसका व्यपहरण इस आशय से किया हो कि उसे अयुक्त संभोग के लिए विवश या विलुब्ध किया जाएगा।

10. अतः प्रकरण में इस स्टेज पर यह निष्कर्ष निकाले जाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपी ने आरोपित अपराध कारित किया।

11. परिणामतः आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य न होने के आधार पर आरोपी मोनू उर्फ कुलबंतसिंह को दं.प्र.सं संहिता की धारा 232 के अंतर्गत धारा भा.द.वि की धारा 363, 366क के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. आरोपी का धारा 428 द.प्र.सं के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

13. निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट, भिण्ड को भेजी जावे।

14. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।
15. आरोपी न्यायिक निरोध में है, उसके जेल वारंट पर नोट अंकित की जाए कि यदि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल छोड़ा जावे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)